



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032021-226195
CG-DL-E-27032021-226195

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1264]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943

No. 1264]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

का.आ. 1368(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि सिक्किम राज्य के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जिले में NH 510 के कि.मी. 75.000 से कि.मी. 90.210 (जिला कलेक्ट्रेट, पश्चिम सिक्किम) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला कलेक्टर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सिक्किम राज्य के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जिले में NH 510 के कि.मी. 75.000 से कि.मी. 90.210 (जिला कलेक्ट्रेट, पश्चिम सिक्किम) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

"3 (ए)" मेंसंशोधन – राजपत्र अधिसूचना असरएस.ओ. नंबर 4389 (ई) दिनांक 4 दिसंबर 2020।

"3 (ए) में" अधिसूचना असर एस.ओ. नंबर 4389 (ई) दिनांक 4 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 को समाचार पत्र पर प्रकाशित। 3 (डी) के लिए प्रमाणित भूमि विवरण में किए गए कुछ बदलाव।

१. 3 (ए) में राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. क्रमांक 4389 17 प्लॉट नं / सर्वे नं 3 (डी) के लिए सत्यापित और प्रमाणित भूमिविवरण के साथ मिलान नहीं किया जाता है। निम्नलिखित भूमिविवरण को "3 (ए)" गजट अधिसूचना से ठीक किया जाना चाहिए। नंबर 4389 (ई) दिनांक 4 दिसंबर।

प्लॉट नंबर / सर्वे नं। के संबंध में बदलें					
क्र.	"3 (ए)" अधिसूचना के अनुसार [एस.ओ. नंबर 4389 (ई)] दिनांक 4 दिसंबर 2020।	प्लॉट नंबर / सर्वे क्रमांक "3 (ए)" के अनुसार अधिसूचना एस.ओ. नंबर 4389 (ई) दिनांक 4 दिसंबर 202	सही प्रमाणित भूमिविवरण के अनुसार सही प्लॉट नं/ सर्वे नं	ग्राम का नाम "3 (ए)" के अनुसार अधिसूचना असर एस.ओ. नंबर 4389 (ई) दिनांक 4 दिसंबर 2020	टिप्पणियाँ
१	३४	६१४/१००३	६१४	लूंगजीक	
२	४४	२०७	२०७/२३६१	लिंगचोम	
३	७७	३२१, ३२१/१७९१	३२१	लिंगचोम	
४	७८	३२१, ३२१/१७९१	३२१/१७९१	लिंगचोम	
५	१२६	६६५, ६६४	६६४	लिंगचोम	
६	४१	१३८३, १३८३/१३४१	१३८३, १३८३/१९४१	लिंगचोम	
७	५८	६५२, ६५३	६५३/९६५	तिकजेक	
८	१३४	७८२	७७२	तिकजेक	
९	२१	५६९	५६९, ५६८	तिकजेक	
१०	२२	५६९	५६९, ५६८	तिकजेक	
११	३५	५८२/५८३	५८२	तिकजेक	
१२	३६	५८२/५८३	५८२	तिकजेक	

१३	४७	६२०	६२०/९४०	तिकजेक	
१४	४८	६२०	६२०/९४०	तिकजेक	
१५	११०	७४७/१२५३	४६७	तिकजेक	
१६	१११	७४७/१२५३	४६८	तिकजेक	
१७	२१	१३५१, १३४४ /३०३८	१३४४/३०३६	यांगथांग	

२. ३ (ए) में राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. नंबर 4389, 4 प्लॉट भूमि की श्रेणी 3 (डी) के लिए सत्यापित और प्रमाणित भूमिविवरण के साथ मेल नहीं खाते हैं। सही भूमिविवरण को निम्नानुसार पढ़ा जाना चाहिए: -

क्र.	"3 (ए)" अधिसूचना के अनुसार [एस.ओ. नंबर 4389 (ई)] दिनांक 4 दिसंबर 2020।	प्लॉटनंबर / सर्वेक्रमांक "3 (ए)" के अनुसार अधिसूचना एस.ओ. नंबर 4389 (ई) दिनांक 4 दिसंबर 202	भूमिप्रकार के अनुसार "3 (ए)" अधिसूचना असर एस.ओ. नंबर 4389 (ई) दिनांक 4 दिसंबर 2020	प्रमाणित भूमिविवरण के अनुसार भूमि का सही प्रकार	ग्राम का नाम "3 (ए)" के अनुसार अधिसूचना असर एस.ओ. नंबर 4389 (ई) दिनांक 4 दिसंबर 2020
१	११	१३३५, १३३७	गवर्नमेंट	प्राइवेट	यांगथांग
२	१२	१३३५, १३३७	गवर्नमेंट	प्राइवेट	यांगथांग
३	१७	१३४७	गवर्नमेंट	प्राइवेट	यांगथांग
४	१८	१३४७	गवर्नमेंट	प्राइवेट	यांगथांग

३. ३ (ए) में राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. संख्या 4389, 4 किसी अन्य गाँव में भूखंड की कोई परिलक्षित नहीं की गई है, जिसके तहत ह 3 (डी) के लिए सत्यापित और प्रमाणित भूमिविवरणों के साथ नहीं आता है। सही भूमिविवरण निम्नानुसार हैं: -

क्र.	"3 (ए)" अधिसूचना के अनुसार [एस.ओ. नंबर 4389 (ई)] दिनांक 4 दिसंबर 2020	प्लॉटनंबर / सर्वेक्रमांक "3 (ए)" के अनुसार अधिसूचना एस.ओ. नंबर 4389 (ई) दिनांक 4 दिसंबर 2020	ग्राम का नाम "3 (ए)" के अनुसार अधिसूचना एस.ओ. नंबर 4389 (ई) दिनांक 4 दिसंबर 2020	प्रमाणित भूमिविवरण के अनुसार ग्राम का नाम	टिप्पणियाँ
१	९१	५६६	लिंगचोम	सारदुंग	
२	९२	५६६	लिंगचोम	सारदुंग	

३	१०१	५८७	लिंगचोम	सारदुंग	
४	१०२	५८७	लिंगचोम	सारदुंग	

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Gyalshing/NH-510/PKG-VI/2020-21/3A Corr.]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th March, 2021

S.O. 1368(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 510 in the stretch of land from Km 75.000 to Km 90.210 (District Collectorate, West Sikkim) in the district of WEST DISTRICT in the state of SIKKIM, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Collector in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 510 in the stretch of land from Km 75.000 to Km 90.210 NH 510 (District Collectorate, West Sikkim) in the district of WEST DISTRICT in the state of SIKKIM

Rectification in “3(A)”-Gazette Notification Bearing S.O. No. 4389 (E) dated 4th Dec 2020.

In “3(A)” Notification Bearing S.O. No. 4389 (E) dated 4th Dec 2020, published on News paper on 31st Dec 2020. Some corrections have been made in authenticated land details for 3(D).

1. In 3(A) Gazette Notification S.O. No. 4389, 17 Plot no. /Survey no. are not matched with verified and authenticated land details for 3(D).Corrected land details are to be read as follows:-

Change with respect to Plot No./Survey No.					
Sl.No.	Sl. No as per “3(A)” Notification [S.O. No. 4389 (E)] dated 4th Dec 2020.	Plot No./Survey No. as per “3(A)” Notification S.O. No. 4389 (E) dated 4th Dec 2020	Corrected Plot No./Survey No. as per Authenticated land details	Name of Village as per “3(A)” Notification Bearing S.O. No. 4389 (E) dated 4 th Dec 2020	Remarks
1	34	614/1003	614	Lungzik	
2	44	207	207/2361	Lingchom	
3	77	321,321/1791	321	Lingchom	
4	78	321,321/1791	321/1791	Lingchom	
5	126	665,664	664	Lingchom	
6	41	1383,1383/1341	1383,1383/1941	Lingchom	
7	58	652,653	653/965	Tikjek	
8	134	782	772	Tikjek	
9	21	569	569,568	Tikjek	
10	22	569	569,568	Tikjek	
11	35	582/583	582	Tikjek	
12	36	582/583	582	Tikjek	
13	47	620	620/940	Tikjek	
14	48	620	620/940	Tikjek	
15	110	747/1253	467	Tikjek	
16	111	747/1253	468	Tikjek	
17	21	1351,1344/3038	1344/3036	Yangthang	

2. In 3(A) Gazette Notification S.O. No. 4389, 4 Plot land category are not matched with verified and authenticated land details for 3(D). Corrected land details are to be read as follows:-

Sl.No.	Sl. No as per “3(A)” Notification [S.O. No. 4389 (E)] dated 4th Dec 2020.	Plot No./Survey No. as per “3(A)” Notification S.O. No. 4389 (E) dated 4th Dec 2020	Land Type as per “3(A)” Notification Bearing S.O. No. 4389 (E) dated 4th Dec 2020	Corrected Land Type as per as per Authenticated land details	Name of Village as per “3(A)” Notification Bearing S.O. No. 4389 (E) dated 4 th Dec 2020
1	11	1335,1337	Government	Private	Yangthang
2	12	1335,1337	Government	Private	Yangthang
3	17	1347	Government	Private	Yangthang
4	18	1347	Government	Private	Yangthang

3. In 3(A) Gazette Notification S.O. No. 4389, 4 No's of plot have been reflected in another village under which it does not fall with verified and authenticated land details for 3(D). Corrected land details are to be read as follows:-

Sl. No.	Sl. No as per “3(A)” Notification [S.O. No. 4389 (E)] dated 4th Dec 2020.	Plot No./Survey No. as per “3(A)” Notification S.O. No. 4389 (E) dated 4th Dec 2020	Village Name as per “3(A)” Notification S.O. No. 4389 (E) dated 4th Dec 2020	Corrected Village Name as per Authenticated land details	Remarks
1	91	566	Lingchom	Sardung	
2	92	566	Lingchom	Sardung	
3	101	587	Lingchom	Sardung	
4	102	587	Lingchom	Sardung	

[F. No. NHIDCL/PMU-Gyalshing/NH-510/PKG-VI/2020-21/3A Corr.]

RAJESH GUPTA, Director